रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90] नई दिल्ली, सोमवार, मई 29, 2006/ज्येष्ठ 8, 1928
No. 90] NEW DELHI, MONDAY, MAY 29, 2006/JYAISTHA 8, 1928

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2006

सं. 5 4/2000 ए एण्ड पी (क्यू II).—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 10 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 36 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) एतद्द्वारा दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) में निम्नलिखित संशोधन करता है:

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

   (i) यह विनियम "भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) (5वां संशोधन) विनियम, 2006" (2006 का 6) कहा जाएगा।

   (ii) यह विनियम सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) की अनुसूची I में:

   (i) सचिव और प्रधान सचिव से संबंधित 'सीधी भर्ती के लिए अर्हता (योग्यता) और अनुभवों' और 'पदोन्नति के लिए सेवा अवधि' के कॉलमों में दी गई मौजूदा प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी:

पद का नाम	सीधी भर्ती के लिए अर्हता और अनुभव	पदोन्नति के लिए सेवा अवधि
सचिव	किसी मान्यता प्राप्त, विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा उसके समकक्ष। दूरसंचार, उद्योग, वित्त, लेखाकार्य, विधि, प्रबंध या उपभोक्ता मामलों का 21 वर्ष का अनुभव	इसके ठीक नीचे के ग्रेड में कम से कम 4 वर्ष की नियमित सेवा वाले ट्राई के अधिकारियों में से पदोन्नति
प्रधान सलाहकार	किसी मान्यता प्राप्त, विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा उसके समकक्ष। दूरसंचार, उद्योग, वित्त, लेखाकार्य, विधि, प्रबंध या उपभोक्ता मामलों का 21 वर्ष का अनुभव	इसके ठीक नीचे के ग्रेड में कम से कम 4 वर्ष की नियमित सेवा वाले ट्राई के अधिकारियों में से पदोन्नति

(ii) संयुक्त सलाहकार के पद पर नियुक्ति से संबंधित 'पदोन्नति के लिए सेवा अवधि' कॉलम में उल्लिखित "अथवा समकक्ष" शब्दो को हटा दिया जाएगा।

(iii) वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्ति से संबंधित 'पदोन्नति के लिए सेवा अवधि' कॉलम के अंतर्गत उल्लिखित मौजूदा प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी:

"इसके ठीक नीचे के ग्रेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारियों में से पदोन्नति।"

(iv) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद पर नियुक्ति से संबंधित 'पदोन्नति के लिए सेवा अवधि' कॉलम के अंतर्गत उल्लिखित मौजूदा प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी:

"कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले तकनीकी अधिकारी के ग्रेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा वाले ऐसे अधिकारियों में से पदोन्नति।"

3. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) में भाग XIV - विविध में वर्तमान खण्ड 25 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी:

"25 परिवीक्षा: सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त उम्मीदवार 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे। किसी भी सीधी भर्ती वाले व्यक्ति को 2 वर्ष

की सेवा पूरी करने और प्राधिकरण द्वारा उस दौरान उसकी सेवाएं तथा/अथवा आचरण संतोषजनक पाए जाने पर ही स्थाई किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी कर्मचारी की सेवा तथा/अथवा आचरण यदि संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं/पाया जाता है तो प्राधिकरण के विवेक पर उसकी यह अवधि बढ़ाई जा सकेगी ताकि उस कर्मचारी को सुधार का अवसर मिल सके। यदि परिवीक्षा अवधि/बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर भी, कर्मचारी की सेवाएं तथा/अथवा आचरण संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं/पाया जाता है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।"

4. दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति), विनियम, 2001 (2001 का 2) में जहां कहीं भी 'ए एण्ड एल' तथा 'एफ एण्ड ए' शब्द आए हैं उनके स्थान पर क्रमशः 'ए एण्ड पी' तथा 'एफए' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

राजन सिंगला, सलाहकार (प्रशासन एवं कार्मिक)

[विज्ञापन III/IV/142/2006/असा.]

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2006

No. 5-4/2000-A & P (Vol. II).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 36 read with section 10 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) hereby further amends the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation 2001 (2 of 2001), as follows, namely:

1. Short title and commencement:

   (i) This Regulation shall be called "The Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) (5th Amendment) Regulation 2006" (6 of 2006).

   (ii) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Schedule I of the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation 2001 (2 of 2001):-

(i) the following entries shall substitute the existing entries appearing under the columns 'Qualification & Experience for Direct Recruit' and 'Length of Service for promotion' relating to the appointment of Secretary and Principal Advisor, respectively, namely:-

Name of Post	**Qualification & Experience for Direct Recruit**	**Length of Service for promotion**
Secretary	Degree from a recognized University or equivalent. 21 years experience including relevant experience in the field of telecommunications, industry, finance, accountancy, law, management, or consumer affairs.	Promotion from amongst the TRAI officers with minimum of four years of regular service in a grade immediately below.
Principal Advisor	Degree from a recognized University or equivalent. 21 year's experience including relevant experience in the field of telecommunications, industry, finance, accountancy, law, management, or consumer affairs.	Promotion from amongst the TRAI officers with minimum of four years of regular service in a grade immediately below.

(ii) The words "or equivalent" appearing under the column "Length of Service for promotion" relating to appointment to the post of Joint Advisor, shall be deleted.

(iii) the following entries shall substitute the existing entries appearing under the column "Length of Service for promotion" relating to appointment to the post of Senior Principal Private Secretary, namely:-

"Promotion from amongst the officers with 4 years of regular service in a grade immediately below."

(iv) the following entries shall substitute the existing entries appearing under the column "Length of Service for promotion" relating to appointment to the post of Senior Research Officer, namely:-

"Promotion from amongst the officers with 4 years of regular service in the grade of Technical Officers having working knowledge of computer."

3. In the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation 2001 (2 of 2001), in Part XIV – Miscellaneous, for the existing clause 25 and entries relating thereto, the following clause and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

"25. Probation: Candidates appointed through direct recruitment process shall be on probation for a period of two years. A direct recruit shall be confirmed only

after he/she has completed the period of probation and during the period his/her services and/or conduct have been found by the Authority to be satisfactory. In the event that the service and/or conduct of any employee are/is not found to be satisfactory during the probation period, at the discretion of the Authority, the period may be extended to provide the employee an opportunity to improve. If the service and/or conduct of any employee are/is not found to be satisfactory at the end of the probation period/extended probation period, his/her services may be terminated."

4. The words "A&L" and "F&A" wherever they appear in the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation 2001 (2 of 2001), shall be substituted by the words "A&P" and "FA", respectively.

RAJAN SINGLA, Advisor (A & P)

[ADVT III/IV/142/2006/Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.